न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 19/2018 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. भम्बू पुत्र घीसाराम जाति मीणा निवासी ग्राम सैंथली नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0,

.... अपीलांट

बनाम

1. तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.... रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री अजीत कुमार यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 25.11.2019

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 09.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दि0 08.03.2017 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि आ0 ख0 नं0 77 रकबा 4.05 है0 में से 0.20 है0 पर अपीलांट मुंशी पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी सैंथली द्वारा अवैध रूप से फसल सरसों काश्त कर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 08.03.2017 को यथावत रखते हुये दिनांक 09.05.2018 को अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 09.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि आ0 ख0 नं0 77 रकबा 4.05 है0 में से 0.20 है0 पर अपीलांट मुंशी पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी सैंथली द्वारा अवैध रूप से कब्जा होना जाहिर किया है जबकि आराजी मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमाईश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मिन अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और ना ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। मौके पर मिन अपीलांट का ना तो कोई कब्जा कभी रहा है और ना वर्तमान में है।अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

हम अपीलांट इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि चारागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसको कानूनन नियमन भी नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 08.03.2017 को यथावत रखते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

अभिभाषकगण इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि उनके द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है और वर्तमान में उनका कोई विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है ।

इस न्यायालय में अपीलांट ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी पर अब उसने अतिक्रमण हटा लिया है तथा अब कोई अतिक्रमण नहीं है । प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 09.05.2018 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 08.03.2017 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

बउनवान भम्बू बनाम सरकार
अपील सं0 19/2018

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 25.11.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर